आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28/3/14

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-590/2008-09

चन्द्र टोप्पो, ...आवेदक।

बनाम्

रणधीर सिंह, ... विपक्षी।

आदेश

आवेदक चन्द्र टोप्पो, पिता–स्व० सुन्दरा उराँव, निवास ग्राम हेहल, थाना–सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी रणधीर सिंह, पिता–स्व० सुखदेव सिंह, निवास ग्राम–नगरा टोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिए है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
हेहल	203	14	80	05 कट्टा

आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिए हैं।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक कहते हैं कि उपरोक्त भूमि आर०एस० खतियान में दसवा उराँव वो रामा उराँव वल्द सुन्दरा उराँव वो बुधूवा उराँव, वो बिरसा उराँव,

28/3/14

कृ०पृ०उल्ट

का नाम दर्ज है। खतियानी रैयत सुन्दरा उराँव अपने पीछे चन्द्र टोप्पो, को छोड़ गये हैं। आवेदक अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि राम उराँव, अपने पीछे सुन्दरा उराँव को छोड़ गये। सुन्दरा उराँव अपने पीछे चन्द्र टोप्पो को छोड़ गये जो आवेदक है।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी उपायुक्त, राँची के अनुमति प्राप्त किये बिना जमीन को हड़प लिये हैं, जो की छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" का उल्लघंन है। आवेदक के पिता–सुन्दरा उराँव वर्णित भूमि पर खपड़ापोस मकान बना कर रहते थे जिसे विपक्षी द्वारा तोड़ कर जबरन कब्जा कर लिया गया है। आवेदक की ओर से वाद संख्या–590/2008–09 चन्दर टोप्पो, बनाम् रणधीर सिंह लाया गया जिसका निष्पादन दिनांक–17.06.2011 को हुआ। इस वाद में आवेदक के वाद को खारिज किया गया है, लेकिन इस आदेश के अंतिम पृष्ठ पर विशेष विनियमन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, अतः पुनः एस०ए०आर० वाद संख्या–590/2008–09 में तात्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची श्री ए०के० शरण के न्यायालय में चन्दर टोप्पो, बनाम् रणधीर सिंह को सुना गया। इसमें दिनांक–22.01.2012 को आदेश पारित हुआ कि वर्णित भूमि आवेदक को वापस किया जाता है। उक्त आदेश के विरूद्ध रणधीर सिंह ने उपायुक्त, राँची के न्यायालय में अपील वाद दायर किया जिसका वाद संख्या–79 R15/2011–12 है। इस वाद में अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः सुनने हेतु आदेश पारित किया गया। इसी के आलोक में वाद की पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई। आवेदक की ओर से खतियान की कॉपी एवं अंचल रसीद दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से स्वयं गवाही भी दिया गया है।

विपक्षी का कहना है कि आवेदक के दादा राम उराँव ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48/49 के तहत आवेदन वर्ष 1958 में रेन्ट सूट डिप्टी कलेक्टर, राँची के न्यायालय में वाद दायर किया जिसका वाद संख्या–119R8II of 1958-59 है। इस वाद के द्वारा वर्णित जमीन में से 03 एकड़

M-J28/3/24

भूमि राम उराँव, द्वारा, (1) श्री एल०पी० सिंह, (2) श्री एम०के० सिंह, (3) श्री एस० सिंह, को बेचने हेतु अनुमति प्राप्त किया गया, तत्पश्चात जमीन निबंधित पट्टा के माध्यम से श्री एल० पी० सिंह, को बेच दिया गया। पुनः 03 एकड़ में से 01 एकड़ 25 डिसमिल जमीन दो अलग–अलग निबंधित गिफ्टपट्टा के द्वारा अपने पुत्र विजय सिंह एवं पुत्री प्रियदर्शनी सिंह के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया है। बाद में विजय सिंह की पुत्री प्रियदर्शनी सिंह, एवं पुत्र ने अपने पिता से प्राप्त 01 एकड़ 25 डिसमिल में से 25 कट्ठा 10 धुर जमीन रामेश्वर सिंह को बेच दिया जिसका निबंधन तिथि–20.07.1972 एवं डीड संख्या–11269 है। इसके बाद सूरजनाथ सिंह ने एक निबंधित मुखतारनामा हरी भूषण सिंह को दिये जिसका प्रतिनिधि पत्र संख्या–383/1985 दिनांक–16.09.1985 है। यह अवर निबंधित कार्यालय, राँची में निबंधित है इसी के आधार पर बाद में रणधीर सिंह को 05 कट्ठा जमीन बेच दिया गया, जिसका बुक 01, भोलूम–62, पेज–533 से 538 डीड नं०–11152 वर्ष 1985 है। तत्पश्चात रणधीर सिंह ने अपने नाम पर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करवा कर मालगुजारी देते आ रही हैं तथा राँची नगर निगम राँची में भी हॉल्डिग टैक्स देते आ रहे हैं। विपक्षी की और से निबंधित पट्टा, मालगुजारी रसीद, शुद्धि पत्र की छाया प्रति दाखिल किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। दोनों पक्षों के कागजात एवं उपायुक्त, राँची के न्यायालय में वाद संख्या–119R8II of 1958-59 की धारा 48/49 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुमति को देखने से ऐसा प्रतित होता है कि इस वाद की विवादित 05 कट्ठा जमीन भी उपरोक्त वर्णित वाद का ही अंश है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.08 15:17:53 +05:30
Location: 192.168.166.39

28/3/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28/3/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।